महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति
संख्या- 937/2024/006-1737705

प्रेषक,
कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2024

विषयः- अयोध्या धाम में भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन के दृष्टिगत जनपद अयोध्या में 25000 श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों हेतु टेन्टेड डोरमेट्री व्यवस्था विकसित कर संचालित कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि आवंटन करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या-2448/ संचालन-4/संस्कृति टेन्ट सिटी अयोध्या/2024, दिनांक 28.03.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अयोध्या धाम में भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-100/2024/002-1737705, दिनांक 11.01.2024 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-750.00 लाख के सापेक्ष हुए वास्तविक व्यय धनराशि रू0-3973.46 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-3223.46 लाख आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 द्वारा किये गये अनुरोध एवं तत्समय लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त परियोजना को कराये जाने हेतु नगर विकास विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा 50-50 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाना था, तत्क्रम में शासनादेश द्वारा तत्समय अनुमानित धनराशि रू0-15.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू0-7.50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। चूकि उक्त परियोजना को कराये जाने में वास्तविक व्यय धनराशि रू0-3973.46 लाख हुआ है, अतएव नगर विकास विभाग द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि रू0-1986.73 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-1236.73 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में 25000 श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों हेतु टेन्टेड डोरमेट्री व्यवस्था विकसित कर संचालित कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनायें-05- स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शिनियों हेतु व्यवस्था-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रू0-**12600.00** लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0-3487.73 लाख** में से शासनादेश संख्या-100/2024/002-1737705, दिनांक 11.01.2024 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-1500.00 लाख के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0-750.00 लाख के क्रम में हुए वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0-1236.73 लाख (रूपये बारह करोड़ छत्तीस लाख तिहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, एतद्द्वारा आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

PMgo

(1) शासनादेश संख्या-100/2024/002-1737705, दिनांक 11.01.2024 द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार मण्डलायुक्त अयोध्या का अनुमोदन प्राप्त कर आहरित की जायेगी एवं कार्यदायी विभाग/संस्था-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से धनराशि व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,36,73,000 (रुपये बारह करोड़ छत्तीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

Digitally Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 30-03-2024 17:45:13
Reason: Approved

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-937(1)/2024/006-1737705, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, अयोध्या ।
3. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ ।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 28.03.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कोषाधिकारी, अयोध्या ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज/स्थानीय निकाय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव ।

PMgo

(1) शासनादेश संख्या-100/2024/002-1737705, दिनांक 11.01.2024 द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार मण्डलायुक्त अयोध्या का अनुमोदन प्राप्त कर आहरित की जायेगी एवं कार्यदायी विभाग/संस्था-उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से धनराशि व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,36,73,000 (रुपये बारह करोड़ छत्तीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-937(1)/2024/006-1737705, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. मण्डलायुक्त, अयोध्या ।
3. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ ।
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 28.03.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कोषाधिकारी, अयोध्या ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज/स्थानीय निकाय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव ।

Digitally signed by कल्याण बनर्जी
Date: 30-03-2024 17:46:17
Reason: Approved

PMgo

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन पर्यटन भवन
सी–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
CIN : U63040UP1974SGC003950
फोन नं0. 0522–2308017, ई–मेल : md@upstdc.co.in

पत्रांक–2448/संचालन–4/संस्कृति टेन्ट सिटी अयोध्या/2024 :: दिनांक–28/3/,2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः–जनपद अयोध्या में आवास विकास परिषद की ग्रीन फील्ड टाउनशिप योजना की भूमि पर 25000 श्रद्धालुओं हेतु टेन्टेड डोरमेट्री आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कार्यो के सदुपयोगिता एवं अदेयता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

VS(DP)/SO-1
कृपया
29/3/2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–100/2024/002–1737705 दिनांक 11.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से योजनान्तर्गत धनराशि रू0–750.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है।

सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में डोरमेट्री आवासीय व्यवस्था का संचालन दिनांक 12.03.2024 से बन्द करा दिया गया था, जिसके उपरान्त दिनांक 24.01.2024 से दिनांक 11.03.2024 विकासकर्ता फर्मों द्वारा दी गयी सेवाओं के सापेक्ष रू0–39,73,45,573.00 (रू0 उन्तालीस करोड़ तिहत्तर लाख पैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) जी0एस0टी0 सहित का भुगतान किया जाना है।

(अनिल कुमार यादव)
निजी सचिव,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
उ0प्र0 शासन।

प्रकरण में योजनान्तर्गत पर्यटन निगम को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0–750.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण–पत्र दो प्रतियों में पत्र के साथ के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। उक्त योजनान्तर्गत उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम को देय अवशेष धनराशि रू0–32,23,45,573.00 (रू0–बत्तीस करोड़ तेईस लाख पैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) यथाशीघ्र पर्यटन निगम के निम्नलिखित बैंक खाते में अवमुक्त कराने का कष्ट करें।

Name of Beneficiary :- UPSTDC Ltd
Name of Bank Branch :- Canara Bank, Vipin Khand, Gomti Nagar Lucknow
Account Number :- 2405101006659
IFSC Code :- CNRB0002405

संलग्नकः– उक्तवत्।

भवदीय

(कृष्ण कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

श्री अशोक
29.03.2024

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन पर्यटन भवन
सी–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
CIN : U63040UP1974SGC003950
फोन नं0. 0522–2308017, ई–मेल : md@upstdc.co.in

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

(1) परियोजना का नाम	अयोध्या में आवास विकास परिषद की ग्रीन फील्ड टाउनशिप योजना की भूमि पर 25000 श्रद्धालुओं हेतु टेन्टेड डोरमेट्री आवासीय व्यवस्था दिनांक 24.01.2024 से 24.03.2024 तक की अवधि हेतु निर्मित कर संचालित कराये जाने सम्बन्धी कार्य। सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में डोरमेट्री आवासीय व्यवस्था का संचालन दिनांक 12.03.2024 से बन्द करा दिया गया था।
(2) प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–100/2024/002–1737705 दिनांक 11.01.2024	रू0–7.50 करोड़ (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र)
(3) उपभोग की अवधि	24 जनवरी, 2024 से 11 मार्च, 2024 तक
(4) डोरमेट्री आवासीय व्यवस्था की स्थापना एवं संचालन पर व्यय जी0एस0टी0 सहित धनराशि	रू0–39,73,45,773.00 (रू0 उन्तालीस करोड़ तिहत्तर लाख पैतालीस हजार सात सौ तिहत्तर मात्र)
(5) भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र	कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण
(6) परियोजनान्तर्गत कुल व्यय धनराशि	रू0–39,73,45,573.00 (रू0 उन्तालीस करोड़ तिहत्तर लाख पैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र)
(7) अवशेष धनराशि	रू0–32,23,45,573.00 (रू0–बत्तीस करोड़ तेईस लाख पैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) अपेक्षित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के सं0–100/2024/ 002–1737705 दिनांक 11.01.2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में 25000 श्रद्धालुओं हेतु टेन्टेड डोरमेट्री आवासीय व्यवस्था, निर्मित एवं संचालित परियोजनान्तर्गत धनराशि रू0–39,73,45,573.00 (रू0 उन्तालीस करोड़ तिहत्तर लाख पैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) के सापेक्ष अवमुक्त रू–07.50 करोड (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) जिस मद हेतु स्वीकृत किया गया है, उसी मद में व्यय किया गया है तथा परियोजनान्तर्गत अतिरिक्त व्यय हुई धनराशि रू0–32,23,45,573.00 (रू0–बत्तीस करोड़ तेईस लाख पैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) का भुगतान अपेक्षित है।

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक

हस्ताक्षर 28/3/24

पदनाम

(जसबीर सिंह)
आहरण एवं वितरण अधिकारी
दिनांक

28/3/24

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0
राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन पर्यटन भवन
सी–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
CIN : U63040UP1974SGC003950
फोन नं0. 0522–2308017, ई–मेल : md@upstdc.co.in

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

(1) परियोजना का नाम	अयोध्या में आवास विकास परिषद की ग्रीन फील्ड टाउनशिप योजना की भूमि पर 25000 श्रद्धालुओं हेतु टेन्टेड डोरमेट्री आवासीय व्यवस्था दिनांक 24.01.2024 से 24.03.2024 तक की अवधि हेतु निर्मित कर संचालित कराये जाने सम्बन्धी कार्य। सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में डोरमेट्री आवासीय व्यवस्था का संचालन दिनांक 12.03.2024 से बन्द करा दिया गया था।
(2) प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–100/2024/002–1737705 दिनांक 11.01.2024	रू0–7.50 करोड़ (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र)
(3) उपभोग की अवधि	24 जनवरी, 2024 से 11 मार्च, 2024 तक
(4) डोरमेट्री आवासीय व्यवस्था की स्थापना एवं संचालन पर व्यय जी0एस0टी0 सहित धनराशि	रू0–39,73,45,773.00 (रू0 उन्तालीस करोड़ तिहत्तर लाख पैतालीस हजार सात सौ तिहत्तर मात्र)
(5) भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र	कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण
(6) परियोजनान्तर्गत कुल व्यय धनराशि	रू0–39,73,45,573.00 (रू0 उन्तालीस करोड़ तिहत्तर लाख पैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र)
(7) अवशेष धनराशि	रू0–32,23,45,573.00 (रू0–बत्तीस करोड़ तेईस लाख पैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) अपेक्षित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के सं0–100/2024/ 002–1737705 दिनांक 11.01.2024 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 में 25000 श्रद्धालुओं हेतु टेन्टेड डोरमेट्री आवासीय व्यवस्था, निर्मित एवं संचालित परियोजनान्तर्गत धनराशि रू0–39,73,45,573.00 (रू0 उन्तालीस करोड़ तिहत्तर लाख पैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) के सापेक्ष अवमुक्त रू–07.50 करोड (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) जिस मद हेतु स्वीकृत किया गया है, उसी मद में व्यय किया गया है तथा परियोजनान्तर्गत अतिरिक्त व्यय हुई धनराशि रू0–32,23,45,573.00 (रू0–बत्तीस करोड़ तेईस लाख पैतालीस हजार पांच सौ तिहत्तर मात्र) का भुगतान अपेक्षित है।

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर 28/4/24

पदनाम

28/4/24

दिनांक

(जसबीर सिंह)
आहरण एवं वितरण अधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/03/2024

प्रेषण संख्या:- 937
आवंटन आदेश संख्या:- 001-937-2024-006-1737705
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	123673000 743661000	123673000 743661000
	योग	वर्तमान प्रगामी	123673000 743661000	123673000 743661000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह करोड़ छत्तीस लाख तिहत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौहत्तर करोड़ छत्तीस लाख इकसठ हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव